चॉईस/सामान्य सेवा केन्द्रों को PVC कार्ड प्रिंटर जारी करने के लिए दिशा निर्देश

चॉइस / सामान्य सेवा केन्द्रों को PVC कार्ड प्रिंटर चिप्स एवं CSC e-Governance Services India Limited के द्वारा प्रदान किये जा रहे है, प्रदत्त प्रिंटर के माध्यम से चॉईस/ सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा PVC मतदाता पहचान पत्र (EPIC) एवं PVC आधार कार्ड नागरिको को प्रिंट कर दिए जा रहे है.

शासन द्वारा इन सेवाओं के लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया गया है.

- PVC EPIC कार्ड 30.00/- (रु. तीस मात्र)
- PVC आधार कार्ड 30.00/- (रु. तीस मात्र)

CSC e-Governance Services India Limited ने राज्य के समस्त जिलो में लगभग 600 प्रिंटर दिए जाने का लक्ष्य रखा है. CSC e-Governance Services India Limited द्वारा प्रिंटर की उपलब्धता, जिलो से प्राप्त कार्यादेश (Work Order) एवं स्थायी आधार पंजीयन केंद्र की संख्या के आधार पर प्रिंटर उपलब्ध कराये जाते है.

चॉइस / सामान्य सेवा केन्द्रों को प्रदान किये जाने वाले प्रिंटर के लिए आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार है.

1. स्थायी आधार पंजीयन केंद्र संचालित करने वाले चॉइस / सामान्य सेवा केन्द्र संचालकों को ही PVC Card प्रिंटर प्रदान किया जायेगा.
2. यह प्रिंटर एक विधान सभा क्षेत्र में अधिकतम 7 अथवा विधानसभा / शहर क्षेत्र में मतदाता घनत्व के आधार पर चिप्स द्वारा निर्धारित किया जायेगा.
3. शहर की जनसंख्या अधिक होने पर चॉइस / सामान्य सेवा केन्द्र संचालकों को प्रदान किये जाने वाले प्रिंटर की संख्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स द्वारा निर्धारित किया जायेगा.
4. PVC Card प्रिंटर प्राप्ति हेतु चॉइस केंद्र/सामान्य सेवा केंद्र संचालको का www.apna.csc.gov.in पोर्टल में eWallet होना आवश्यक है.
5. उपरोक्त प्रिंटर का स्वामित्व किसी भी चॉइस केंद्र/ सामान्य सेवा केंद्र को नहीं दिया गया है.
6. प्रिंटर के उपयोग से प्राप्त होने वाले राजस्व के आधार पर चिप्स द्वारा निर्धारित किया जायेगा कि उपरोक्त प्रिंटर चॉइस केंद्र/ सामान्य सेवा केंद्र के पास ही रहेगा अथवा केंद्र से वापस लिया जाना है.
7. चॉइस केन्द्रों / सामान्य सेवा केन्द्रों से PVC कार्ड्स की निर्धारित सेवा शुल्क से अधिक शुल्क लिए जाने की शिकायत जिला कार्यालय से प्राप्त होती है, तो उस स्थिति में आवश्यक कार्यवाही कर प्रिंटर वापस लिया जा सकता है.

8. जिन केन्द्रों को प्रिंटर प्रदान किये गए है, उन केन्द्रों को यह दिशा निर्देश जारी किये जाने से अधिकतम 15 दिवस (2 सप्ताह) के भीतर स्थायी आधार पंजीकरण केंद्र प्रारंभ किया जाना आवश्यक है, अन्यथा प्रिंटर वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी.

9. प्रिंटर प्रदान करने संबधित सभी अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स के पास सुरक्षित है.

______00______

CHiPS
Chhattisgarh Infotech& Biotech Promotion Society